नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम **बिजौलियां, भीलवाड़ा**

राजू .... बनाम उदा ....

किस्म मुकदमा 111-129 .... प्रकरण संख्या 212 .... सन् **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/12 2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 15 / 12 / 2025 को वास्ते तलबी / जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
15/12/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते तामील (समस्त) विपक्षी आगामी दिनांक 6/1/26 को पेश हो	तामील प्राप्त
6/1/26	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में विपक्षी (1, 2, 3) की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी (4, 5) को तामील जारी की गई पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील (4, 5) आगामी दिनांक 20/1/26 को पेश हो	तामील प्राप्त
20/1/2026	**पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक** 3/2/2026 **को वास्ते** इन्तजार तामील (4, 5) **पेश हो।** **उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां**	
3/2/26	पत्रावली पेश हुई विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो	

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 212/2025 तारीख 5/12/25

01. राजू पुत्र लालू जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी शोपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. सोहनी पत्नि लालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी शोपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. उदा पुत्र नन्दा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पचानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. चुनिया पुत्र हीरा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पचानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. मोहनलाल पुत्र मांगीलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पचानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गिरधरपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गिरधरपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 3/2/26

प्रार्थना पत्र हम **राजू पुत्र लालू, सोहनी पत्नि लालू जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी शोपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा शोपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी में स्थित खाता संख्या 44 पर अंकित आराजी संख्या 349/117 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा शोपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी में स्थित खाता संख्या 44 पर अंकित आराजी संख्या 349/117 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

427

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 212/25 तारीख 5/12/25

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....212........./ 2025 पत्थरगढ़ी बाबत्।

01. राजू पुत्र लालू जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी शोपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. सोहनी पत्नि लालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी शोपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. उदा पुत्र नन्दा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पचानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. चुनिया पुत्र हीरा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पचानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. मोहनलाल पुत्र मांगीलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पचानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गिरधरपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गिरधरपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा शोपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी में स्थित खाता संख्या 44 पर अंकित आराजी संख्या 349/117 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **सलावटिया** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी • बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां